विभाजन वाद संख्या 01/2018
सीआईएस 941/2018
दिनांक 15.12.2023

न्यायालयः अवर न्यायाधीश अरेराज,पूर्वी चम्पारण।

आदेश

दिनांकः 15.12.2023 वाद पुकारा गया। प्रस्तुत मामला आवेदकगण रामसुन्दर सहनी और रामचंद्र सहनी की तरफ से दिनांक 26.05.2022 को आदेश 1 नियम 10 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन के आदेश हेतु निर्धारित है।

आवेदकगण ने अपने आवेदन में कहा है कि वादीगण ने प्रस्तुत वाद कूटरचना के आधार पर अपने परिवार एवं अन्य के विरुद्ध प्रस्तुत किया है जिसमें आवेदकगण की भू संपत्ति भी विवादित भू संपत्ति के अनुसूची में दिया गया है जो कि वाद पत्र में अंकित है यह कि आवेदकगण ने उपर्युक्त भू संपत्ति प्रेम चंद्र सहनी पिता धनराज सहनी से विक्रय विलेख द्वारा दिनांक 04.10.1982 द्वारा क्रय कर उसके दखल कब्जे में रखते चले आए हैं जिसका विवरण आवेदन पत्र में दिया गया है । यह कि उपरोक्त भू संपत्ति के निश्वत राम विनय सिंह पिता प्रतिवादी सं0 02 और 03 ने एक स्वत्व वाद सं0 226/89 आवेदकगण के विरुद्ध अपर मुंसिफ 2 के यहां प्रस्तुत किया था जिसे दिनांक 15.04.1993 को खारिज कर दिया । यह कि वादी और प्रतिवादीगण आवेदकगण की क्रय संपत्ति को प्रस्तुत मामले में प्रश्नगत किया है अतः उभय पक्ष कूटरचना के माध्यम से चुपके–चुपके न्यायालय से निर्णय प्राप्त कर आवेदकगण को बेदखल करने पर उतारू है यह कि आवेदकगण ने जब न्यायालय में पता किया तो उसे इस बात की जानकारी प्राप्त हुई । यह कि आवेदकगण को पक्षकार बनाकर उसे अपने स्वत्व एवं अधिकार के निश्वत कागजी तथा मौखिक साक्ष्य देना आवश्यक है अतः प्रस्तुत आवेदन को मंजूर करने की कृपा की जाए।

प्रस्तुत मामले में वादी की तरफ से आवेदक के आवेदन जवाब दिया गया वादी का कथन है कि आवेदकगण को प्रस्तुत मामले में कोई हित नहीं है तकरारी जायदाद खाता सं0 181, खेसरा सं0 114 , रकवा मवाजी 0–10–0 अलावे दिगर जायदाद प्रेमचंद्र सहनी की थी इसके अलावा अन्य दिगर जायदाद रामविनय सिंह, ने दिनांक 11.06.1981 को फरोख्त कर लिया था यह कि प्रेम चंद्र सहनी का खेसरा 114 पर रामविनय सिंह को बेचने के बाद कोई हक नहीं बचा है। यह कि आवेदक ने खाता 181 खेसरा, 114 की जायदाद को पहले ही बेच दिया है यह कि आवेदकगण ने प्रेमचंद्र सहनी से ही खेसरा 114 खरीदने का दावा किया है और बयान किया है कि 04.10.1982 को प्रेमचंद्र सहनी से बयनामा कराया है जबकि प्रेचंद सहनी ने खेसरा न0 114 की जायदाद 11.06.1981 को ही मनमुदई बच्चा सिंह के भाई रामविनय सिंह के नाम से विक्रय कर दखल कब्जा दे दिया है। अतः प्रेमचंद्र सहनी को बयनामा लिखने का कोई हक नहीं है न ही खाता सं0 181 खेसरा न0 114 पर कोई हक हासिल है । यह कि आवेदकगण का यह कथन कि प्रतिवादी सं0 02 और 03 के पिता ने स्वत्व वाद दाखिल किया था और वह खारिज हो गया इस प्रकार की कोई जानकारी वादी को नहीं है । यह कि आवेदकगण की खरीदगी जायदाद को मुकदमा में सयतकरारी बनाया गया है अतः चूंकि आवेदकगण बयनामा

विभाजन वाद संख्या 01/2018
सीआईएस 941/2018
दिनांक 15.12.2023

के आधार पर एकक्षण भी दखल कब्जे में नहीं रहे अतः उनको बेदखल करने के उतारू होने की बात मनगढंत है। यह कि आवेदकगण का आवेदन खारिज करने की कृपा किया जाए।

मामले में आवेदकगण के आवेदन का अवलोकन किया। आवेदकगण ने न्यायालय में दिवानी मुकदमा 226/89 में अपर मुंसिफ द्वितीय मोतिहारी के दिनांक 16.04.1993 जो कि रामविनय सिंह बनाम रामसुंदर सहनी तथा अन्य के विरुद्ध था खारिज कर दिया गया था इस संबंध में दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसके अंतर्गत तफसील एराजी खाता सं0 181 थी इसके अलावा बयनामा दस्तावेज जो प्रेमचंद्र सहनी ने रामसुंदर सहनी को दिनांक 04.10.1982 को किया है उस संबंध में भी दस्तावेज की छायाप्रति प्रस्तुत की है । आवेदकगण ने अपने आवेदन के पेज न0 5 तथा 06 एवं 7 पर खाता न0 181 के विभिन्न खेसरों के संबंध में जमीन का विवरण दिया है जो कि प्रस्तुत वाद में विवाद का विषय है क्योंकि वादपत्र के पेज न0 15 पर खाता सं0 181 खेसरा सं0 114 का वर्णन है । आवेदकगण ने इस भूमि को अपने दखल कब्जे की बात कही है । मामले के विस्तृत अवलोकन के पश्चात यह बात स्पष्ट होती है कि मामले के समयक निस्तारण हेतु आवेदकगण को पक्षकार बनाना आवश्यक है अतः आवेदकगण का दिनांक 26.05.2022 को प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 को स्वीकृत किया जाता है। वाद दिनांक .....वास्ते अग्रिम कार्रवाई।

स्थानः अरेराज
पूर्वी चम्पारण।

लेखापित व संशोधित

मनीष कुमार पाण्डेय
अवर न्यायाधीश
अरेराज,पूर्वी चम्पारण।